

विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय

घाटों, मापों, तोल के उपकरणों या माप के उपकरणों के विनिर्माता के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं० H.P.M-29

सं० 2010

1. विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक, दिल्ली के विनिर्माण के लिए Weight Frames G.C. Apparel (उपकरणों के नाम और पते) की अनुज्ञप्ति देता है—यहाँ उन घाटों, मापों, तोल के उपकरणों या माप के उपकरणों के निर्माण के बारे में जो जिनका पता पत्र द्वारा विनिर्माण किए जाने के लिए प्रस्तुत की जाती है।

Bullion weights form 1 mg to 10 kg in Brass & Steel

2. यह अनुज्ञप्ति ऊपर नामित उपकरण के लिए उनके G.C. Apparel Pvt. Co. Industrial Area, Wilt Kolk की याचक विनिर्माण है।

3. यह अनुज्ञप्ति Sept. 2. 19 से 31 दिसम्बर तक विधिमान्य है।

4. विनिर्माता नीचे दी गई बातों का अनुपालन करेगा। यदि वह उन में से किसी एक का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के दायित्व की शक्ती होगी।

5. विनिर्माता जिस आधार बिन्दु/मानोपमान का उपयोग कर रहा है वह निम्नलिखित रूप में है—

(मुद्रा)

[Signature]
नियंत्रक
विधिक माप-विज्ञान
विधिक माप (सर्व) विभाग

तारीख :

स्थान :

टिप्पणी:—ऊपर की दस्ता में, उक्त नाम और कारोबार में हिंड रखने वाले सब व्यक्तियों के नाम पता 1 में दिए जाने चाहिए।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. यह व्यक्ति, जिसके पत्र में यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है:—
 - (क) अधिनियम और संलग्न प्रवृत्त नियमों के सभी सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेगा।
 - (ख) अधिनियम या संलग्न प्रवृत्त नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित नहीं करेगा और ऐसे किसी प्रतिस्पर्धन को जो उक्त जानकारी में आए, संलग्न निरीक्षक को रिपोर्ट करेगा।
 - (ग) अनुज्ञप्ति की उक्त परिधि के, बिना इसका सम्बन्ध है, किसी सहसंगत भाग में प्रदर्शित करेगा।
 - (घ) किसी ऐसे संचालन या बिक्री निदेशों का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिये जाएं।
 - (ङ) जब कभी नियंत्रक या इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अन्य अधिकारी द्वारा ऐसा करने की प्रतीक्षा हो जाए तो अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करेगा।
 - (च) पंजीकृत, विनिर्दिष्ट घाटों, मापों या तोल प्रकरणा माप उपकरणों को बिक्री से पूर्व संचालन और स्टाल के लिए निरीक्षक को पेश करेगा।
 - (छ) कभी भी इस सम्बन्ध में ऐसे लेख और विवरण देना जिन्हें निरीक्षक संचालन पर निरिच्छित करें, तथा उनको धरना करे और
 - (ज) नियमों की अधीनस्थान अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति की दिवसोपमा को तात्पर्य की समाप्ति के तीस दिन पहले प्रस्तुत करेगा।

2. इन अनुज्ञप्ति को जारी किए जाने के पश्चात् विधिक नियंत्रक यदि आवश्यक में अधिनियम की गई है व्यक्ति में पर आधारित होगी जिन्हें अनुज्ञप्ति दी गई है।